उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Utter Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०:-602-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2012-19-प्र०सु०/2004, दिनॉक 9 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 12.

1- प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।

2- निदेशक (का०प्र०),
उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कारपोरेशन के जन सूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचनायें एवं अंतरित आवेदन पत्रों पर आवेदकों को ससमय सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

महोदय

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कारपोरेशन, मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों द्वारा कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी को वॉछित सूचनायें तथा उनके द्वारा अन्तरित किये गये आवेदन पत्रों पर आवेदकों को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। यह अत्यन्त खेद एवं चिन्ता का विषय है।

आप अवगत ही होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-07(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक को वॉछित सूचना विलम्बतम 30 दिनों में उपलब्ध करायी जानी है। मा० राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के उक्त प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा-20 (1) में आवेदक द्वारा मॉगी गयी सूचना निर्धारित समयावधि (30 दिन जैसा कि अधिनियम की धारा-07 (1) में निहित है) में न दिये जाने पर प्रतिदिन दो सौ पचास रूपये किन्तु अधिकतम रूपये पच्चीस हजार की शास्ति (दण्ड) मा० आयोग द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 04 एवं 05 में निम्नॉकित व्यवस्था विहित है:-

उपधारा-4:- यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मॉग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

उपधारा-5:- कोई अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसकी उपधारा-4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लघंन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

क्रमशः......

सूचना का अधिकार अधिनियम की उपरोक्त व्यवस्थाओं से सुस्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना परमावश्यक है तथा करपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचनायें तथा अन्तरित आवेदन–पत्रों में वॉछित सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। कारपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा वॉछत सूचनायें तथा अन्तरित आवेदन–पत्रों के माध्यम से आवेदकों, द्वारा अपेक्षित सूचनायें ससमय उपलब्ध न कराये जाने की अवस्था में प्रकरण से सम्बधित अधिकारी को समस्त प्रयोजनों हेतु जनसूचना अधिकारी माना जायेगा जिससे सूचना की अपेक्षा की गयी हो।

कृपया अधिनियम के अपर्युक्त प्राविधानों से अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को अवगत करा दें तथा इन प्राविधानों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से उन्हें निर्देशित करें।

भवदीय

(ए0 के0 सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0:–602(1)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2012 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक गण से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव (का0प्र0–प्रथम)/(द्वितीय)/(अराजपत्रित)/(काविनी)/मुख्य महाप्रबन्धक(औ0सं0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (का0प्र0–तृतीय) एवं जनसूचना अधिकारी (मुख्यालय),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ को पत्र सं0–5021–सू0प्र0अ0–15/पाकालि/12–797–ज0सू0/12 दिनॉक 10.09.2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित।
6. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0 का0 लि0।
8. समस्त अनुभाग/कोष्ठक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए0 के0 सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)